न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 21/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रूपा पुत्र श्री मगन जाति भील निवासी मुदरला तह. देलदर जिला सिरोही।
2. श्रीमती सोमी पत्नि श्री रूपा जाति भील निवासी मुदरला के कायम मुकाम–
   - 2.1 श्री रूपा पुत्र श्री मगन जाति भील निवासी मुदरला तह. देलदर जिला सिरोही।
   - 2.2 सुश्री लक्ष्मी पुत्री श्री रूपा जाति भील निवासी मुदरला तहसील देलदर जिला सिरोही।
3. श्री वगता पुत्र श्री माला जाति भील निवासी मुदरला तहसील देलदर जिला सिरोही।
4. श्रीमती सोदरी पत्नि श्री वगता जाति भील निवासी मुदरला के कायम मुकाम–
   - 4.1 श्री वगता पुत्र श्री माला जाति भील निवासी मुदरला तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 4.2 श्री बाबू पुत्र श्री वगता जाति भील निवासी मुदरला तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 4.3 सुश्री बिबली पुत्र श्री वगता जाति भील निवासी मुदरला तहसील देलदर जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. अधिवक्ता श्री शैतान खरौर अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 435 रकबा 0.15 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/सम/578–80 दिनांक 26.02.2006 एवं 11.03.2006 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 06.06.2006 द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि [illegible] 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible]कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक एवं 2.1 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरौर ने ज[illegible]लतनामा के उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या 2.2, अप्रार्थी सं[illegible] तीन एवं अप्रार्थी संख्या [illegible]4.3 की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थीगण एवं उनके अेधिवक्ता लगातार अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 435 रकबा 0.15 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं थे। आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 435 रकबा 0.15 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/सम/578–80 दिनांक 26.02.2006 एवं 11.03.2006 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 06.06.2006 द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। यह है कि पटवारी हल्का आमथला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशते भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 98 रकबा 5.05 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/सम/578–80 दिनांक 26.02.2006 एवं 11.03.2006 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटन की गई है, निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner